

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
लोक सभा
20.08.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 4477 का उत्तर

फ्रेट टर्मिनल नीति का उल्लंघन

4477. डॉ. अमर सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) और प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल (पीएफटी) या अन्य किसी नीति के अंतर्गत निजी भागीदारों को फ्रेट टर्मिनल स्वीकृत किए हैं और यदि हाँ, तो अब तक स्वीकृत ऐसे टर्मिनलों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या निजी भागीदारों द्वारा ऐसी फ्रेट टर्मिनल नीतियों के उल्लंघन या दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पहचाने गए मामलों की संख्या कितनी है, उल्लंघन का स्वरूप क्या है और प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे उल्लंघनों के कारण होने वाली अनुमानित राजस्व हानि, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने और रेलवे राजस्व के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): 2021 में गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति लागू होने के पश्चात्, भारतीय रेल ने 251 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल के लिए प्रस्तावों को स्वीकृत किया

है। इनमें से अब तक 115 गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल कमीशन किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल में 81 परिचालित निजी माल यातायात टर्मिनल मौजूद हैं, जिन्हें गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति लागू होने से पहले चालू किया गया था।

गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल ने रेलवे को राजस्व वृद्धि करने में सहायता की है। गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल रेलवे के लिए ज्यादा कार्गो यातायात लाते हैं। इससे संभार लागत को कम करके अर्थव्यवस्था को सहायता मिलती है। इसके अलावा, रेलवे द्वारा अधिक कार्गो यातायात का अर्थ है कम कार्बन उत्सर्जन।

अब तक माल यातायात टर्मिनल नीतियों के उल्लंघन या दुरुपयोग का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रत्येक गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल एक पारदर्शी और विचारपूर्वक संरचित समझौता तंत्र द्वारा शासित होता है, जो संबंधित पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। यह व्यापक उपाय गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति की सत्यनिष्ठा और प्रभाविता में सहयोग प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय रेल के लिए अनुपालन और राजस्व संरक्षण दोनों की प्राथमिकता बने रहें।
